कार्यालय कलेक्टर बैतूल एवं पदेन उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कमांक 16 अ–82/2019–20/ धनोरी /5034 बैतूल, दिनांक ~~29~~ 30 / ~~02~~ 05 /2020

घोषणा

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची–2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	आठनेर	धनोरी	3.305	घोघरी मध्यम् परियोजना

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0	अर्जित रकबा हे0
1	2	3	4	5
1	ग्यानदेव पुत्र वासुदेव, जाति कुंबी, सा.देह.भू–स्वामी	27/1	0.846	0.846
2	बलदेव पुत्र वासुदेव, जाति कुंबी, सा.देह भू–स्वामी	27/2	0.364	0.364
3	रामचन्द्र पुत्र वासुदेव जाति कुंबी, सा.देह भू–स्वामी	27/3	0.465	0.465
4	रघुनाथ पुत्र चिन्धु, जाति कुंबी, सा.देह भू–स्वामी	25/1 22/1	0.384 0.089	0.384 0.089
5	सया,सुमन,यशोदा,देवकू पुत्री गेन्दू, जाति कुंबी, सा.देह भू–स्वामी	25/2 22/2	0.381 0.089	0.381 0.089
6	गया बे. पंढरी, गुलाबराव,साहेबराव,पाडूंरग,सुमन,पंढरी, सुनिता,मुन्नी,निर्मला पिता पंढरी, चिन्धी पुत्री किसना, जाति कुंबी, सा.देह भू–सवामी	63/1	0.026	0.026
7	दिवाकर,कमलाकर,सुधाकर,यशोदा,सकुन,कौशी,मीना, पिता गणपति जाति कुंबी, सा.देह. भू–स्वामी	63/2	0.305	0.305
8	व्यंकटी उर्फ व्यकंटराव पुत्री दाजीबा, जाति कुंबी, सा.देह. भू–स्वामी	63/3	0.356	0.356
	योग:–		3.305	3.305

29/5/20

.....2

(2) चूंकि घोघरी मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.inपर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राकेश सिंह)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्र0 16 अ–82/वर्ष 19–20 /धनोरी / 5034 बैतूल दिनांक 29 मई 2020
30
प्रतिलिपिः–

1– उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन बैतूल जिले में सर्वाधिक प्रकाशित दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक--2 बैतूल ओर अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन आई सी) बैतूल की ओर समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7– तहसीलदार आठनेर की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल ग्राम पंचायत पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0भू–अर्जन शाखा बैतूल